निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–69/21
दायरा दिनांक :–15.06.21
निर्णय दिनांक :– 28.10.22

उनवान

1. जगदीश पुत्र श्री मांगीलाल जाति धाकड़
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री मांगीलाल जाति धाकड़
3. मुकुटबिहारी पुत्र श्री मांगीलाल जाति धाकड़
   निवासीगण शाहगढ तहसील तहसील बारां जिला बारां राज0
4. कैलाशीबाई पुत्री श्री मांगीलाल पत्नी गोबरीलाल जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल
5. उर्मिलाबाई पुत्री श्री मांगीलाल पत्नी शिवकुमार जाति धाकड निवासी समसपुर तह0 बारां

–वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी शाहगढ
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0)
3. उप–पंजीयक अधिकारी बारां जिला बारां
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा दीनदयाल पार्क बारां

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 28.10.22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओम प्रकाश मेहता एड0– वादी
2. श्री नवीन जैन एड0– प्रतिवादी
3. श्री धैर्य नागर एड0– प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम शाहगढ तहसील बारां की आराजी जमाबंदी सम्मत 2[illegible] खाता सं0 नया 31 पुराना 28 की आराजी नं0 121 रकबा 1.86 है0 जिसे आगे [illegible] विवादित आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

उक्त आराजियात कि मूल खातेदार चर्तुभुज पुत्र घांसी कोम धाकड निवासी शाहगढ थे। जो सेटलमेन्ट से पूर्व सम्वत् 2032–35 की जमाबंदी में ख0 नं0 121 रकबा 1.86 है0 का साबिक ख0 नं0 69 डोहली रकबा 11 बीघा खातेदारी में दर्ज था। जो स्व0 चर्तुभुज जी द्वारा अपने पुत्र मांगीलाल पुत्र चर्तुभुज जाति धाकड को दान पत्र दिनांक 04.04.1974 को किया जा कर जो दिनांक 05.04.1974 को पृष्ठ सं0 33 रसीद नं0 1/67 से लेखा पत्र 97 पंजीयन पुस्तक सं0 1 पर दर्ज करवाया गया है। किंतु उसके पश्चात दानकर्ता चर्तुभुज पुत्र घासी लाल जाति धाकड निवासी शाहगढ का देहान्त हो गया उसी दौरान सेटलमेन्ट आने के कारण दानपत्र के आधार पर मांगीलाल पुत्र चर्तुभुज के नाम राजस्व रिकार्ड में अकंन नही किया गया। और जबकि इंतकाल कमांक 129 दिनांक 28.11.1978 को खोला जाकर चर्तुभुज पुत्र घांसीलाल धाकड के स्थान पर आराजी ख0 नं0 69 रकबा 11 बीघा मांगीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण पुत्र व मूलीबाई बेवा के नाम खोल दिया गया है। तथा सेटलमेन्ट विवाद द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2038–57 में ग्राम शाहगढ की आराजी ख0 नं0 121 रकबा 1.86 हे0 मृतक चर्तुभुज की विरासत से दिनांक 28.11.1978 को इतंकाल कमाकं 129 गलत दर्ज होने से सेटलमेन्ट विभाग द्वारा भी मांगीलाल चर्तुभुज का नाम दानपत्र के आधार पर न दर्ज कर तीनों के नाम गलत रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार इतंकाल कमाकं 129 दिनांक 28.11.1978 को वादीगण निरस्त कराकर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करा पा कसने के अधिकारी एवं नालिशी है। मृतक मांगीलाल के अन्य कोई वैधानिक वारिस या कायम मुकामान नहीं है मृतक मांगीलाल की पत्नी शांतिबाई का देहान्त भी दो वर्ष पूर्व हो चुका है। आराजी खसरा नं0 121 रकबा 1.86 हे. के सेटलमेन्ट सम्वत् 2038–57 के पूर्व साबिक खसरा नं0 69 रकबा 11 बीघा से कायम किये गये है मृतक चर्तुभुज पुत्र घासीलाल जाति धाकड के इनके अतिरिक्त शामिल खाते की ग्राम शाहगढ में अन्य आराजियात थी जिसमें मतृक चर्तुभुज पुत्र घासी का 1/2 हिस्सा निहित था जो जमाबंदी सम्वत् 2032–35 में ख0 नं0 15 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 34 रकबा 33 बिघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 46 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 89 रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 96 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 123 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, ख0 नं0 126 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा खसरा नं0 245 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 148 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 126 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 145 बीघा 7 बिस्वा दर्ज थी जो सेटलमेन्ट सम्वत् 2038–57 में मांगीलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्र व मूलीबाई बेवा चर्तुभुज के नाम 1/2 तथा दूलीचंद, जुगलकिशोर पुत्र मथूरालाल मुस0 गोपाली बेवा मथुरालाल के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया जिसके वर्तमान खसरा नं0 25 रकबा 0.14 हे0 खसरा नं0 28 रकबा 1.63 हे0 खसरा नं0 56 रकबा 2.12 हे0 खसरा नं0 57 रकबा 2.53 हे0 खसरा नं0 82 रकबा 2.92 हे0 खसरा नं0 154 रकबा 2.30 हे0 खसरा नं0 165 रकबा 0.58 हे0 खसरा नं0 157 रकबा 1.61 हे0 खसरा नं0 167 रकबा 3.99 हे0 ख0 नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

199 रकबा 0.39 है0 ख0 नं0 200 रकबा 0.03 हे0 ख0 नं. 201 रकबा 0.02 हे0 ख0 नं. 211 रकबा 0.52 हे0 खसरा नं0 243 रकबा 0.47 हे. खसरा नं. 246 रकबा 0.74 हे0 कुल किता 15 कुल रकबा 20.99 हे0 दर्ज थी। जो वर्तमान में जमाबंदी सम्वत् 2072–75 खाता सं0 नया 136 पुराना 30 की आराजी खसरा नं0 154 रकबा 2.30 हे0 खसरा नं0 155 रकबा 0.58 हे0 खसरा नं. 157 रकबा 1.61 हे0 खसरा नं0 243 रकबा 0.47 हे. खसरा नं0 246 रकबा 0.74 हे. खसरा नं0 56 रकबा 2.12 हे0 खसरा नं0 57 रकबा 2.53 हे0 कुल 7 किता कुल रकबा 10.35 हे. जिसमें वादीगण 1 लगायत 5 का हिस्सा समान रूप से 1/10, 1/10 राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा प्रतिवादी कम 1 का 1/2 हिस्सा निहित था। जो उसके द्वारा अपने पुत्र किशनचंद नागर को 1/8 हिस्सा व अपने पुत्र रामेश्वर का पुत्र राजकुमार को 1/8 हिस्सा दानपत्र से हस्तान्तरित कर दिया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी कम 1 लक्ष्मीनारायण पुत्र चर्तुभुज का 1/4 हिस्सा वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किंतु आराजी खसरा नं0 121 रकबा 1.86 हे0 जो चर्तुभुज पुत्र घासी का स्वयं का बनाया हुआ था। जो उसके द्वारा अपने पुत्र मांगीलाल को रजिस्टर्ड दानपत्र से दिनांक 04.04.1974 को किया जा कर इसका पंजीयन दिनांक 05.04.1974 को करवाया गया जिसमें प्रतिवादी कम 1 का नाम व मुस. मूलीबाई का नाम गलत रूप से चर्तुभुज के देहान्त के बाद तीनों का नाम अंकन किया गया है। जबकि मांगीलाल अकेले के नाम राजस्व कर्मचारियों को दर्ज किया जाना चाहिए था। मुस. मुलीबाई का भी देहान्त हो चुका है तथा मांगीलाल का भी देहान्त हो चुका है वादीगण उसके वैधानिक वारिस एवं कायम मुकामान है इस प्रकार वादीगण मृतक चर्तुभुज द्वारा किए गए दानपत्र दिनांक 04.04.1974 पंजीयन दिनांक 05.04.1974 के आधार पर प्रतिवादी कम 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर अपना संपूर्ण खाते में नाम अकंन करा पा सकने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी एवं नालिशी है।

मांगीलाल जी अनपढ थे तथा खाता बही में नहीं समझते थे। इस कारण इतंकाल कमांक 129 की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। मांगीलाल जी का देहान्त लगभग 10 वर्ष पूर्व हो चुका है उक्त आराजी खसरा नं0 121 रकबा 1.86 हे. साबिक खसरा नं0 69 रकबा 11 बीघा पर मृतक मांगीलाल का दानपत्र दिनांक 04.04.1974 से ही बेहैसियत खातेदार कृषक के रूप में निरंतर अपने जीवनकाल तक कब्जा काश्त रहा तथा उनके देहान्त के बाद उनके वारिसान वादीगण का बेहैसियत खातेदार निरंतर आज दिन तक कब्जा काश्त चलता आ रहा है यह जानते हुए भी प्रतिवादी कम 1 द्वारा गत वर्ष बैंक ऑफ बडौदा शाखा दिनदयाल पार्क बारां से ऋण प्राप्त कर लिया गया है। जो उसके द्वारा तथ्यों को छीपाकर यह जानते हुए भी की उक्त आराजी स्व0 चर्तुभुज जी द्वारा मांगीलाल को रजिस्टर्ड दानपत्र से दान की हुई है तथा दानपत्र दिनांक 04.04.1974 पंजीयन दिनांक 05.04.1974 से ही मांगीलाल व उसके देहान्त के बाद उसके वारिसान का वैधानिक रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

इस तथ्य को छिपाकर बैंक ऑफ बडौदा शाखा दीनदयाल पार्क बारां से ऋण प्राप्त किया गया है इस प्रकार वादीगण रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर व सन् 1974 से निरन्तर वादीगण व उनसे पूर्व उनके पिता मांगीलाल का 04-04-1974 से ही निरन्तर कब्जा काश्त होने के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर प्रतिवादी कम 1 लक्ष्मीनारायण व बैंक ऑफ बडौदा शाखा दीनदयाल बारां का नाम राजस्व रिकार्ड से हटवाया जा कर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी व नालिशी है।

वादीगण द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादीकम 1 से उसका नाम राजस्व रिकार्ड से हटावाये जाने हेतू तहसीलदार बारां के यहां चलने हेतू निवेदन किया तो उसके द्वारा टालमटोल की जाती रही। और गत वर्ष जानबुझकर वादीगण को परेशान करने के उद्देश्य से प्रतिवादी कम 4 बैंक ऑफ बडौदा शाखा दीनदयाल पार्क बारां से ऋण प्राप्त कर रहन का नोट अंकित करवा दिया गया है इसके बाद वादीगण द्वारा जानकारी होने पर प्रतिवादी कम 1 से दिनांक 24.05.2021 को अपना नाम हटवाये जाने हेतु तहसील बारां में चलने के लिए कहा गया तो उसके द्वारा स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया तब वादीगण द्वारा तहसीलदार बारा से दानपत्र के आधार पर प्रतिवादी कम 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने एवं बैंक का ऋण का नोट हटाया जाकर प्रतिवादी कम 1 की शेष आराजीयात पर रखे जाने का निवेदन किया गया। तो तहसीलदार बारां द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दिये जाने पर वादीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी के रूप में जिला कलेक्टर महोदय बारां को दिनांक 14.06.2021 के धारा 80 पी0सी0पी0 का नोटिस दिलाये जाने पर वाद कारण अंतिम रूप से 24.05.2021 को एवं नोटिस दिनांक 14.06.2021 को उत्पन्न हुआ है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 ता 3 के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थि नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी कम 4 की ओर से जवाब पेश हुआ। वादी अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम शाहगढ सम्वत् 2072-75 खाता सं0 31, नकल जमाबंदी ग्राम शाहगढ सम्वत् 2072-75 खाता सं0 136, नकल जमाबंदी ग्राम शाहगढ सम्वत् 2072-75 खाता सं0 30 नकल भू-प्रबंध विभाग प्रमाणाकंन के लिए पर्चा नोटिस नकल विकय पत्र दिनांक 08.04.74 नकल नामा0 से 129 दिनांक 28.11.78, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038-57, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2038-56, नकल जमाबन्दी ग्राम शाहगढ सम्वत् 2032-35, पेश किया गया। नकल पंचनामा पेश किया गया। साक्ष्य वादी में सुरज... पेश किया गया।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब ... आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

तनकी नं0 1:– आया कि ग्राम शाहगढ की आराजी खसरा नं0 121 रकबा 1.86 हे. जिसके सम्वत् 2038–57 के पूर्व साबिक ख0 नं0 69 रकबा 11 बीघा के मूल खातेदार चर्तुभुज पुत्र घासी थे जो उनके द्वारा अपने पुत्र मांगीलाल को जर्ये दानपत्र दिनांक 04.04.74 को लिखाया गया एवं दिनांक 05.04.74 को रसीद सं0 1/67 से लेखपत्र 97 पंजीयन पुस्तक सं0 1 पर दर्ज किया जाकर पंजीयन किया गया। जिस पर वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी है।

–वादीगण

तनकी नं0 2:– आया कि खसरा नं0 69 रकबा 11 बीघा आराजी मृतक चर्तुभुज द्वारा स्वयं बनायी गयी थी।

–वादीगण

तनकी नं0 3:– आया कि वादीगण खसरा नं0 121 रकबा 1.86 हे0 में से प्रतिवादी कम1 लक्ष्मीनारायण का नाम राजस्व रिकार्ड से हटवाया जाकर सम्पूर्ण रकबा अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

–वादीगण

तनकी नं0 4:– आया कि वादीगण प्रतिवादी कम 1 द्वारा बैंक ऑफ बडौदा शाखा दीनदयाल पार्क बारां से लिए गए कम का नोट हटवा कर शेष आराजी प्रतिवादी कम 1 के हिस्से तक कराने का अधिकारी है।

–वादीगण

तनकी नं0 5:– आया कि वादीगण को 1/3 हिस्से तक ही वाद लाने का अधिकार था पैत्रक सम्पति में सम्पूर्ण हिस्से का दान करने का अधिकार नहीं था। –प्रतिवादी 4

तनकी नं0 6:– आया कि आराजी ख0 नं0 121 रकबा 1.86 हे0 बैंक से रहन मुक्त नहीं हो जाती है तब तक वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है।

–प्रतिवादी 4

तनकी नं0 7:– अनुतोष

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी ग्राम शाहगढ तह0 बारां में स्थित है। मूल खातेदार चर्तुभुज पुत्र घासी थे। स्व0 चर्तुभुज द्वारा अपने पुत्र मांगीलाल को दानपत्र दिनांक 04.04.1974 को किया गया। जो दिनांक 05.04.1974 को पंजीयन करवाया गया था। उसके पश्चात दानकर्ता चर्तुभुज का देहान्त हो गया तथा उसी समय सेटलमेंट आने के कारण दानपत्र के आधार पर मांगीलाल पुत्र चर्तुभुज का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया। जबकि नामा0 सं0 129 दिनांक 28.11.78 खोला जाकर चर्तुभुज पुत्र घासीलाल के स्थान पर ख. नं. 69 रकबा 11 बीघा मांगीलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्र एवं मुलीबाई [illegible] नाम खोल दिया गया। तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा भी मांगीलाल का नाम दान पत्र के आधार पर दर्ज नहीं किया तथा तीनों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

नाम गलत दर्ज कर दिया गया है। उक्त भूमि के अलावा शामलाती खाते की अन्य भूमि है जिसमें 1/2 शामलाती दर्ज है वादी मृतक चर्तुभुज द्वारा किये गये दानपत्र दिनांक 04.04.1974 पंजीयन दिनांक 05.04.1974 के आधार पर प्रतिवादी कम 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से खारिज कर वादीगण को खातेदार कृषक दर्ज किया जावे। विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी कम 4 द्वारा बताया कि दानपत्र नहीं हुआ था वादीगण द्वारा दानपत्र साबित नहीं किया है। प्रतिवादी कम 1 द्वारा बैंक से ऋण ले रखा है बैंक का ऋण जब तक जमा नहीं होता है तब तक उनके खाते नहीं लगाये जावे। बैंक को अपना पैसा चाहिए। विवादित भूमि बैंक में रहन दर्ज है रहन की राशि जमा होने पर ही वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तब तक खातेदार दर्ज नहीं किया जावें।

बहस अभिभाषक द्वारा पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी के वाद पत्र का तनकी कर निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है:—

तनकी नं0 1:— इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। नकल जमाबंदी ग्राम शाहगढ सम्वत् 2072—75 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी के शामलाती खाते में दर्ज है नकल जमांबदी ग्राम शाहगढ सम्वत् 2072—75 खाता सं0 136 में वादीगण का 1/10, 1/10 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी कम 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है, नकल जमाबंदी ग्राम शाहगढ सम्वत् 2072—75 खाता सं0 30 के अनुसार वादीगण का 1/10, 1/10 एवं प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। नकल खतौनी बंदोबस्त में मांगीलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्र चर्तुभुज व मूलीबाई बेवा चर्तुभुज दर्ज रिकार्ड है नकल रिजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 04.04.1978 के अनुसार चर्तुभुज पुत्र घासीलाल द्वारा ग्राम शाहगढ के खसरा नं0 69 रकबा 11 बीघा भूमि का दानपत्र मांगीलाल पुत्र चर्तुभुज को किया जाना पाया जाता है उक्त दस्तावेजात के आधार पर यह साबित होता है कि विवादित आराजी का दानपत्र मांगीलाल को जर्ये रजिस्टर्ड पंजीयन करवाया गया है परन्तु खातेदार चर्तुभुज की मृत्यु हो जाने के कारण विवादित आराजी का फोती नामा0 नं. 129 मांगीलाल, लक्ष्मीनारायण, पुत्र एंव बेवा मुली बाई के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि मात्र दानपत्र के आधार पर मांगीलाल के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। दानपत्र के आधार पर वादीगण खाते दर्ज कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:— इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था प्रस्तुत नकल जमाबंदी के आधार पर यह साबित होता है कि विवादित भूमि स्व अर्जित भूमि है। पैतृक भुमि नहीं है यदि विवादित भूमि पैत्रक थी तो प्रतिवादी को न्यायालय में उपस्थित होकर पैत्रक साबित करना चाहिए था। जो प्रतिवादी द्वारा नहीं किया। विवादित भूमि स्व अर्जित होने से दानपत्र करने के लिए स्वतंत्र है अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

<u>तनकी नं0 3:–</u> इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038–57 के अनुसार ख0 नं0 69 का नया ख0 नं0 121 बना। जिसका रकबा 1.86 हे0 है जो चर्तुभुज द्वारा मांगीलाल को दानपत्र वसियत किया गया। प्रतिवादी का उक्त भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं होने से प्रतिवादी का नाम खाते से खारिज कराने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित कि जाती है।

<u>तनकी नं0 4:–</u> इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था प्रतिवादी कम 1 द्वारा बैंक से लिए ऋण को अन्य भूमि से प्राप्त कर सकता है क्योंकि यह भूमि वादीगण की है। प्रतिवादी कम 1 के खाते गलत दर्ज होने के कारण प्रतिवादी कम 1 द्वारा में रहन रख कर ऋण प्राप्त कर लिया है। जबकि प्रतिवादी को उक्त विवादित आराजी पर ऋण प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। बैंक प्रतिवादी कम 1 की अन्य भूमि से ऋण प्राप्त कर सकता है यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 5:–</u> इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी कम 4 पर था प्रतिवादी कम 4 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया जिससे विवादित आराजी पेत्रक साबित हो सके। प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत् 2032–35 के अनुसार खसरा नं0 69 हाल खसरा नं0 121 रकबा 1.86 हे. भूमि चर्तुभुज पुत्र घासी के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी चर्तुभुज के खातेदारी की थी। उसे दानपत्र वसियत करने का पूर्ण अधिकार था प्रतिवादीगण विवादित आराजी को पेत्रक साबित करने विफल रहे है अतः यह तनकी प्रतिवादी कम 4 के विरूद्ध निर्णित कि जाती है।

<u>तनकी नं0 6:–</u> इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी कम 4 पर था प्रतिवादी कम 4 को प्रतिवादी कम 1 से ऋण की राशि प्राप्त का अधिकारी है क्योंकि विवादित भूमि खसरा नं0 121 रकबा 1.86 हे0 भूमि वादीगण के खातेदारी की है। प्रतिवादी कम 1 के खाते गलत दर्ज हो जाने के कारण बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया जबकि प्रतिवादी कम 1 को ऋण नहीं लेना चाहिए था प्रतिवादी कम 4 प्रतिवादी कम 1 के अन्य खाते में, खाता सं0 136 में हिस्सा 1/4, खाता सं0 30 में हिस्सा 1/2 दर्ज है यानी कि कुल भुमि 2.84 हे0 प्रतिवादी कम 1 के खाते में दर्ज है उससे प्रतिवादी कम 4 ऋण की वसूली कर सकता है वादीगण विवादित आराजी का दानपत्र वसियत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के निर्णय से यह साबित होता है कि खसरा नं0 69 रकबा 11 बीघा हाल ख0 नं0 121 रकबा 1.86 हे0 [illegible]तेदार चर्तुभुज द्वारा मांगीलाल को दानपत्र वसीयत करवायी गई। विवादित [illegible]गण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया गया इसलिए विवादित [illegible] पेत्रक नहीं मानी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

विवादित आराजी पेत्रक नहीं होने के कारण खातेदार चर्तुभुज अपने खाते की भूमि को रहन वय, दानपत्र, वसीयत कराने के लिए स्वतंत्र है कृषक खातेदार चर्तुभुज द्वारा मांगीलाल को दानपत्र वसीयत ख0 नं0 69 रकबा 11 बीघा हाल ख0 नं0 121 रकबा 1.86 हे0 भूमि करवाई गई थी। दानपत्र वसीयत के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित वाके ग्राम शाहगढ तहसील बारां के ख0 नं0 121 रकबा 1.86 हे0 पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी कम 1 का नाम खाते से खारिज किया जाता है। प्रतिवादी कम 4 बैंक से लिया गया ऋण का नोट हटाया जाकर प्रतिवादी कम 1 की शेष भूमि पर रहन का नोट अंकित किया जावें तथा प्रतिवादी कम 1 से ऋण शेष भूमि से प्राप्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 69/2021	अन्तर्गत 88,89,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक :- 28.10.22
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:—श्री ओमप्रकाश मेहता एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:— श्री नवीन जैन एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

1. जगदीश पुत्र श्री मांगीलाल जाति धाकड़
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री मांगीलाल जाति धाकड़
3. मुकुटबिहारी पुत्र श्री मांगीलाल जाति धाकड़ निवासीगण शाहगढ तहसील बारां जिला बारां राज0
4. कैलाशीबाई पुत्री श्री मांगीलाल पत्नी गोबरीलाल जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल
5. उर्मिलाबाई पुत्री श्री मांगीलाल पत्नी शिवकुमार जाति धाकड निवासी समसपुर तह0 बारां

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी शाहगढ
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0)
3. उप—पंजीयक अधिकारी बारां जिला बारां
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा दीनदयाल पार्क बारां —प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित वाके ग्राम शाहगढ तहसील बारां के ख0 नं0 121 रकबा 1.86 हे0 पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी कम 1 का नाम खाते से खारिज किया जाता है। प्रतिवादी कम 4 बैंक से लिया गया ऋण का नोट हटाया जाकर प्रतिवादी कम 1 की शेष भूमि पर रहन का नोट अंकित किया जावें तथा प्रतिवादी कम 1 से ऋण शेष भूमि से प्राप्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28.10.22 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला—बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:26:52 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		

Scanned with CamScanner